न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 163/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

अखिलेश्वर प्रसाद वगैरह -------------------- प्रथम पक्ष

बनाम्

महेन्द्र मुसहर वगैरह --------------------- द्वितीय पक्ष

आदेश

13-12-24	प्रथम पक्ष अखिलेश्वर प्रसाद, पिता- भागीरथ प्रसाद, साकिन- अटका, पो0- अटका, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 14.10.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत कर उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई अन्य कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया :- मौजा- अटकाडीह, थाना नं0- 139 (1) खाता नं0- 32, प्लॉट नं0- 4382, रकबा- 12.5 डी0 चौहद्दी : उ0- रोड़, द0- डीलो साव, पू0- पोचल भुईयां, प0- प्लॉट सं0 4383 (2) खाता नं0- 32, प्लॉट नं0- 4383, रकबा- 1 डी0 चौहद्दी: उ0- रोड, द0- डीलो साव, पू0- प्लॉट नं0 4382, प0- विगना भुईयां नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख पर प्रथम पक्ष का आवेदन उपलब्ध है उक्त आवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष को भूमि निबंधित केवाला से खरीदगी प्राप्त है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के प्लॉट पर जाने-आने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है। अपने आवेदन के साथ प्रथम पक्ष ने दो निबंधित केवाला की छायाप्रति, एक हुकुमनामा की छायाप्रति, एक श्वेत श्याम फोटोग्राफ, एक नजरी नक्शा की छायाप्रति दाखिल किया है। अंचल अधिकारी बगोदर का जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक 713 दिनांक 20.09.24) प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार विवादित भूमि रैयती खाते की भूमि है। पंजी-II के आधार पर जमाबंदी

कायम नहीं है।

चुँकि द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई लिखित कारण पृच्छा / अभिकथन या राजस्व या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 163 के तहत कोई निर्णय करना संभव नहीं है। चुँकि अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में रैयती भूमि पर दखल कब्जा संबंधी विवाद प्रतिवेदित किया गया है अतः प्रस्तुत विवाद को सुसंगत धारा के तहत विश्लेषण, विवेचन एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत वाद को भा0ना0सु0सं0 के धारा 164 के तहत परिवर्तित किया जाता है। इस आदेश के साथ ही भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई को समाप्त घोषित किया जाता है।

वाद की सुनवाई 21-1-2025 को निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को उक्त आदेश संबंधी नोटिस निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

13-12-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

13-12-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.02 18:16:15 +05:30
Location: 192.168.1.11